

# फर्द अहकाम

श्रीमती गोमती देवी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी,  
(उपखण्ड अधिकारी) सांगानेर

आर.टी.आई. अपील सं० 03/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.07.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट जारी हो। टिप्पणी रेस्पोंडेंट तलब होकर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p style="text-align: right;">अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	<p>1641-42</p> <hr/> <p>19-7-22</p>
1-8.22	<p>पत्रावली केन्द्र द्वारा अपीलान्त की भंग ले उनके द्वारा विद्युत्कॉल में उपस्थित होकर अपीलान्त की सूचना पर पत्र-विचार/शामिल मिलान हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांगानेर का पत्रांक RTI/ABM-अपील/20/2534 दिनांक 21-7-22 प्राप्त। शामिल मिलान हो अपीलान्त के प्रतिनिधि को कथन है कि वांछित सूचना आदिनांक प्राप्त नहीं हुई जो सूचना अपीलान्त सांगानेर को प्राप्त हुई है, वह सूचना ही वांछित है परन्तु सूचना निष्कारणता प्रमाणित नहीं है अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित सूचना निष्पुलक दिये जावे। अंतिम अपीलान्त के प्रतिनिधि द्वारा सूचना के केषल प्रमाणित न होने की आपत्ति की है, जो निष्कारणता उचित है अतः राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर को आदेश दिये जाते हैं कि पत्रा दिनांक 10-6-22, पत्रा दिनांक 25-5-22 एवं सेलान्तक पत्रावली निष्पुलकता कालानी, को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निष्कारणता प्रमाणित कर 10 (दस) दिवस में निष्पुलक प्रदान कर। निर्णय को प्रति भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Handwritten Signature)</i></p> <p style="text-align: right;">अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	<p>500 नॉ.जा.20</p> <p>नॉ. 4 नॉ.पं.</p> <p>2534</p> <hr/> <p>21-7-2022</p> <p>जयपुर</p> <p><i>(Handwritten Signature)</i></p>

निष्पुलक  
प्रमाणित

1743-44

---

16-8-22